

:: आदेश ::

क्रमांक एफ 16-33/2012/बी-ग्यारह,

भोपाल, दिनांक 2/03/2013

मेसर्स एग्रो साल्वेंट प्रा.लि. का लगभग रु. 25.00 करोड़ की स्थाई पूंजी निवेश से दतिया में स्थापित सोयाबीन प्रसंस्करण इकाई में विविधीकरण/तकनीकी उन्नयन संबंधी प्रस्ताव के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स एग्रो साल्वेंट प्रोडक्ट्स प्रा.लि की लगभग रु. 25.00 करोड़ की स्थाई पूंजी निवेश से दतिया में स्थापित सोयाबीन प्रसंस्करण इकाई में विविधीकरण/तकनीकी उन्नयन परियोजना को-

1. उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्ययोजना (यथा संशोधित 2012) में निहित प्रावधान अनुसार परियोजना को प्रवेश कर से निर्धारित एवं प्रचलित शर्तों के अध्याधीन 5 वर्ष की छूट एवं
2. उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्ययोजना (यथा संशोधित 2012) एवं कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2012 में निहित प्रावधान अनुसार परियोजना को राज्य के बाहर से कय किये जाने वाले कच्चा माल पर मण्डी शुल्क के भुगतान से निर्धारित एवं प्रचलित शर्तों के अध्याधीन छूट की सुविधा स्वीकृत की जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

( एम.एस. सोलंकी )

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

भोपाल, दिनांक 2/03/2013

पृ. क्रमांक एफ 16-33/2012/बी-ग्यारह,  
प्रतिलिपि :-

1. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
  2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त/किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग/उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, भोपाल।
  3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
  4. प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि./ म.प्र. स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल।
  5. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मे. एग्रो साल्वेंट प्रोडक्ट्स प्रा.लि. द्वितीय तल गोपाल भवन, संजय काम्पलेक्स जयेन्द्र गंज, ग्वालियर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग